प्रकरण संख्या–04 / 2020 GCMS ID-2020/00021 तारीख रजु–04.03.2020

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

अजय कुमार गुप्ता प्रोपराईटर नवीन एजेन्सी बस स्टैण्ड के पास, हिण्डौन रोड करौली तहसील व जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कृषि अधिकारी(पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौली तहसील व जिला करौली – प्रत्यर्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6 ए एवं 6 सी सब क्लॉज (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 15.06.2021

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए व 6सी(2) के तहत पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.07.2011 के दिवस श्रीराम यूरिया के 1250 कट्टे प्रार्थी के संस्थान के गोदाम से जप्त किये गये थे जिनके संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा जप्त सरकार करने का आदेश किया गया था जबकि प्रार्थी के विरूद्ध कोई केस ब्लैक मार्केटिंग का नहीं था ना ही मिलावट का कोई केस था। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी के आवेदन पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही की गई थी। न्यायालय हाजा के पुनः आदेश दिनांक 07.11.2017 के द्वारा कृषि अधिकारी का आवेदन स्वीकार कर जप्त सुदा बैग (कट्टा) श्रीराम यूरिया के 1250 को राजसात किया जाने का आदेश किये एवं जिला रसद अधिकारी, करौली को आदेश दिये कि उक्त बैगों को नियम अनुसार नीलामी करवाते हुये विक्रय से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करावें। प्रार्थी ने दिनांक 17.11.2017 के आदेश के विरूद्ध अपील जिला न्यायाधीश करौली में प्रस्तुत की जिसकी सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली द्वारा प्रकरण संख्या 48 / 2017 अजय कुमार बनाम राजस्थान सरकार अपील की गई जिसका निर्णय दिनांक 09.05.2019 के दिवस पारित कर आदेश किया कि अपील स्वीकार की जाती है और न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या 02 / 2014 (6ए 14 / 11) दिनांक 07.11.2017 का निर्णय अपास्त किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 सी(3) के तहत आपके न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 अपास्त हो गया है। उक्त निर्णय दिनांक 07.11.2017 के अनुसार जप्तशुदा बैग जो प्रार्थी के गोदाम से जप्त किये गये थे उनको नीलाम कर राजकोष में धनराशि जमा करायी गई है और न्यायालय हाजा का आदेश अपास्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में धारा 6(सी) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो धनराशि राजकोष में जमा हुई है, वह प्रार्थी को लौटाया जाना प्रार्थी अजय को प्रदान किया जाना न्यायोचित है। राजकोष में 1250 बैग की धनराशि नीलामी मे जो राजकोष में जमा हुई वह धनराशि 3,33,500 /–रूपये तीन लाख तैतीस हजार पांच सौ रूपये है जो प्रार्थी को वापस दिलाया जाना आवश्यक है एवं उक्त धनराशि पर प्राप्त लाभ जो अप्रार्थी को प्राप्त हुये है वह परिलाभ भी प्रार्थी को दिलाया जाना न्यायोचित है। इस संबंध में कानून की भी यही व्यवस्था है कि जिससे लाभ अधिग्रहण हुआ है उसको नीलामी से प्राप्त धनराशि वापस किया जाना होता है जो अप्रार्थी द्वारा अभी तक प्रार्थी को धनराशि नहीं दी गयी है। अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को यह आदेश प्रदान किया जावे कि वह 1250 बैग श्रीराम यूरिया की नीलामी से प्राप्त धनराशि 3,33,500 /–रूपये तीन लाख तैतीस हजार पांच सौ रूपयें प्रार्थी को प्रदान की जावें एवं प्रार्थी को उक्त धनराशि

जिला कलक्टर
करौली

पर जो भी परिलाभ अप्रार्थी ने प्राप्त किया है और प्रार्थी को आर्थिक नुकसान इस रकम के उपयोग का हुआ है। वह भी प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलाया जावें।

प्रार्थना पत्र, प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी से प्राप्त जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षण करौली ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मद नं. 1 में दर्ज दिनांक 07.07.2011 के दिवस श्रीराम यूरिया के 1250 कट्टे जब्त किये गये और न्यायालय श्रीमान्जी के आदेशानुसार ही कार्यवाही की गई। मद नं. 2 में दर्ज माननीय न्यायालय द्वारा कार्यवाही न्यायसंगत रूप से की गई और दिनांक 07.11.2017 के दिवस आवेदन स्वीकार करने वाली बात सही है। 1250 बैग श्रीराम यूरिया के कट्टे नीलामी संबंधी कार्यवाही व धनराशि राजकोष में जमा कराने के आदेश जिला रसद अधिकारी करौली को दिये जाना न्यायालय निर्णय दिनांक 07.11.2017 अनुसार सही है। मद नं. 3 में दर्ज तथ्य न्यायालय कार्यवाही व निर्णय से संबंधित होने के कारण सही हैं। मद सं. 4 में दर्ज तथ्य दिनांक 07.11.2017 के आदेश अपास्त होना और निर्णय दिनांक 09.05.2019 के दिवस पारित आदेश के अनुसार अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में न्यायालय आदेशानुसार नीलामी की कार्यवाही जिला रसद अधिकारी द्वारा किये जाने के आदेश पारित हुए थे व नीलामी से प्राप्त राशि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा ही राजकोष में जमा कराने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये गये थे। अप्रार्थी का उक्त प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं था। मद नं. 5 में दर्ज तथ्य अप्रार्थी की जानकारी के अनुसार 1250 बैग होना सही है। नीलामी से संबंधित कार्यवाही जिला रसद अधिकारी करौली के द्वारा न्यायालय आदेशानुसार की गई थी, इसलिए धनराशि से संबंधित जानकारी अप्रार्थी को नहीं होने के कारण अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है। और उक्त धन राशि पर अप्रार्थी द्वारा कोई परिलाभ प्राप्त नहीं किया गया है। इस कारण प्रार्थी परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। इसी बिना पर प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 में दर्ज तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थी के द्वारा अभी तक विभाग में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अप्रार्थी के द्वारा न्यायालय आदेशानुसार कार्यवाही की गई है। प्रकरण में जब्त माल संबंधित नीलामी व नीलामी से प्राप्त राशि न्यायालय आदेशानुसार जिला रसद अधिकारी को पारित किये गये थे। अप्रार्थी का उक्त कार्यवाही कसे संबंध नहीं था। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

जब्तशुदा श्रीराम यूरिया के 1250 कट्टो के विक्रय की कार्यवाही क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा किये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी करौली से टिप्पणी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

जिला रसद अधिकारी करौली ने पत्र क्रमांक–रसद/अभियोजन/2020–21/1739 दिनांक 22.01.2021 से अवगत करवाया है कि प्रकरण संख्या 02/2014 अजय कुमार गुप्ता बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 07.11.2017 की पालना माननीय न्यायालय जिला कलक्टर करौली के पूर्व प्रकरण संख्या 6ए/14/11 में निर्णय दिनांक 24.08.2011 की पालना में जब्तशुदा 1250 बैग श्रीराम यूरिया की नीलामी से प्राप्त राशि को चालान संख्या 146 दिनांक 19.03.2012 द्वारा राजकोष में जमा करवायी गयी।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्षयों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे "शुद्ध के लिये युद्ध अभियान" के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 07.07.2011 को प्रार्थी की दुकान/गोदाम

जिला कलक्टर
करौली

5

में कतिपय अनियमितता पाये जाने पर 1250 कट्टे यूरिया खाद के जब्त कर कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौली द्वारा न्यायालय हाजा में 6ए का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसकी बाद सुनवाई जब्त यूरिया खाद को राजसात् किये जाने, जब्त यूरिया खाद के 1250 कट्टों को सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से विक्रय करवाने एवं प्राप्त राशि को जमा राजकोष करने के आदेश जिला रसद अधिकारी करौली को दिनांक 24.08.2011 को पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा 1250 श्रीराम यूरिया खाद के कट्टों का निस्तारण करवाकर प्राप्त राशि 352500 रुपये में से 19000 रुपये खर्चे के काटकर शेष राशि 333500 रुपये जमा राजकोष करवाई गई। उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश करौली में प्रार्थी द्वारा पेश करने पर माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.12.2013 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु दर्ज किया जाकर उभय पक्षकारान को सुना जाकर जब्तशुदा सामग्री को राजसात् करने का निर्णय दिनांक 07.11.2017 को पारित किया गया। उक्त आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली में पेश की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 09.05.2019 द्वारा माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2017 को अपास्त कर दिया है। इस प्रकार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2011 एवं 07.11.2017 को क्रमशः माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश करौली द्वारा दिनांक 04.12.2013 को एवं माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली द्वारा दिनांक 09.05.2019 को अपास्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के गोदाम से जब्त किये गये 1250 बैग श्रीराम यूरिया के विक्रय/नीलामी से प्राप्त राशि 352500 रुपये में से 19000 रुपये खर्चे के काटकर शेष राशि 333500 रुपये जो जमा राजकोष किये गये हैं, को वापस प्रार्थी को लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी के गोदाम से जब्त किये गये 1250 बैग श्रीराम यूरिया के विक्रय/नीलामी से प्राप्त राशि 352500 रुपये में से 19000 रुपये खर्चे के काटकर शेष राशि 333500 रुपये जो जमा राजकोष किये गये हैं, को प्रार्थी को वापस किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अप्रार्थी एवं जिला रसद अधिकारी करौली को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली